न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

प्रकरण संख्या – 09/2025

1. रूकमणी पत्नि चोखाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

–अपीलान्ट

1. प्रमेश्वरी पत्नि नानूराम जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुन्दर पत्नि रामकुमार जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
3. मदन पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
4. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
5. सोनु पुत्री रामकुमार जाति नायक निवासी धानसिया तहसील नोहर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री नेरन्द्र कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री संतलाल तिवाडी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक :–

अपीलांट रूकमणी पत्नि चोखाराम जाति मेघवाल निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 08.02.2022 रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसंरा नं. 471/2 की 6.072 हैक्टर , खसरा नं. 714/3 की 2.024 हैक्टर कुल 2 किता की 8.096 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन किया को निरस्त करवाने बाबत अपील पेश की गई , जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार हैं –

1. रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर [illegible] सं. 577 की खं. नं. 471/1 की 6.072 हैक्टर ख.नं. 714 की 2.024 हैक्टर [illegible] की भूमि कुल 2 किता की 8.096 हैक्टर बारानी भूमि प्रथम कृषि भूमि स्थित है। जिसमें अपलान्ट 1/3 हिस्सें एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 ब.हि.ब. 1/3 हिस्से के खतेदार काश्ताकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर की उपरोक्त कृषि भूमि आराजी राज कृषि भूमि थी एवं वादग्रस्त भूमि जो कि 24 बीघा नौरगराम एवं 24 बीघा, नानूराम को आवटित हुई तथा उपरोक्त 48 बीघा भूमि की एकल सींव व डोल बनी हुई थी कृषि भूमि के खेत का एकल नक्शा बना था एवं खेत के साईड में नोहर से धानसिया सड़क बनी हुई थी एवं पूर्व में दोनों खातेदार ने अपने –अपने हिस्से में आंशिक हिस्सा का बैचान कर दिया तथा जिसमें आबादी के रूप में खरीददार मकानात बनाकर रिहायश करने लगे है तथा अपील में वर्णित कृषि भूमि ग्राम धानसिया तहसील नोहर के चिपते हुऐ स्थित है।

3. रोही मौज धानसिया तहसील नोहर के खाता सं. 577 की 8.096 हैक्टर भूमि में से प्रमेश्वरी पत्नि नानू जाति नायक निवासी धानसिया ने अपने हिस्से में से 1/3 हिस्से का बैचान अपीलान्ट को कर दिया एवं 1/3 हिस्सा के रूकमणी पत्नि नानू के दर्ज हुए एवं 1/3 हिस्सा उनके पुत्र के नाम दर्ज हैं तथा उनके पुत्र की फौतदगी के बाद वारिसान के नाम दर्ज हुई एव अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 ने वाद भूमि का खाता तक्सीम करव लिया एवं सहमति से वाद भूमि का दिनांक 08.02.2022 को खाता तक्सीम करवा लिया एवं वाद भूमि का खाता विभाजन के आधार पर नक्शा तरमीम हो गया ण्वं वाद भूमि का खता तक्सीम रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 अपीलांट को मुगलाते में रखकार खाता विभाजन पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा अपीलान्अ को जिस स्थान भूमि का कब्जा दिया गयाा तथा वह स्थान खाता विभाजन में परिवर्तित कर दिया इसलिए माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ पारित किया गया जो कि अपास्तनीय है।

4. वर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन में वर्णित भूमि का विभाजन दक्षिण से उतर की तरफ मार्केशन होना चाहिए था एवं जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 ने पटवारी हल्का से मिलाकर पूर्व से पश्चिम की तरफ की मार्केशन करवा लिया जिसके कारण वाद भूमि की भौतिक स्थिति में परिवर्तिन हो गया एवं अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की पर्दाशीन औरत है। अपीलांट केवल मात्र साक्षर है तथा उसे अपने हस्ताक्षर करने आते है जबकि पढी लिखी न ही होने का फायदा उठाकर वाद भूमि की भौतिक स्थिति का परिवर्तित [illegible] अपीलांट की कब्जा काश्त की स्थिति में ही परिवर्तित [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjiv Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:36 IST
Reason: Self Attested

5. अपीलांट ग्रामीण परिवेश की पर्दाशीन औरत है तथा अपीलांट द्वारा वाद भूमि के चारों और तारबन्दी एवं पत्थरगढ़ी करने गयी तब पता चला कि वाद भूमि की कब्जा की भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया एवं रेस्पोडेन्ट ने साज बाजकर वाद भूमि का विभाजन गलत तरमीम करवा लिया तब अपलीान्ट पटवारी ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अलगे दिन दिनांक 25/02रु2025 को नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर रही हैं तथा द्वितीय देरी से क्षमा का कारण मेरोटोरियस है तथा प्रार्थना पत्र दफा 5 का मियाद एवं शपथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर कर पेश हैं।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.02.2022 रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के ख.नं. 471/2 की 6.072 हैक्टर खं. नं. 714/3 की 2.024 हैक्टर कुल 2 किता की 8.096 हैक्टर भूमि का खाता तक्सीम निरस्त करने का आदेश फरमावें।

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) अतिरिक्त जिला ★

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री संतलाल तिवाडी उपस्थित हुयें। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल प्रति तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने बाबत निवेदन किया ।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली का अध्ययन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 08.02.2022 रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसंरा नं. 471/2 की 6.072 हैक्टर , खसरा नं. 714/3 की 2.024 हैक्टर कुल 2 किता की 8.096 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन तस्दीक किया गया हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 08.02.2022 रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खसरा नं. 471/2 की 6.072 हैक्टर , खसरा नं. 714/3 की 2.024 हैक्टर कुल 2 किता की 8.096 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन को अपास्त की जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती हैं कि अपीलांट को कब्जा अनुसार भूमि प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 09/2025 अनवान रूकमणी बनाम प्रमेश्वरी आदि

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:36 IST
Reason: SelfAttested